//कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी (म.प्र.)//

**** ज्ञापन ****

क्रमांक Q-5/S.W./एक–22–01/14-20 बडवानी, दिनांक .11/04/2020

प्रति,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर ।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय की रीट पीटिशन क्रमांक 05/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2020 में दिये निर्देशों के पालन के संबंध में ।

संदर्भ : माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक 405/गोप./202, जबलपुर, दिनाक 07.04.2020 अनुसार ।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि सदर्भित पत्र के द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में इस जिला स्थापना पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग से प्रकरणों मे सुनवाई किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये है :–

01– केन्द्रीय जेल बडवानी तथा उप जेल सेंधवा में विचाराधीन बंदियों की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से पेशी हेतु जिला न्यायालय में चिन्हित स्थान पर पक्षकार एवं समस्त अधिवक्तागण के विभिन्न न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेसिंग हेतु आवश्यक सुविधा स्थापित कर दी गई है । इस कक्ष का उपयोग पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालय से लिंक स्थापित करने के लिए कर सकते हैं । संबंधित पक्षकार एवं अधिवक्तागण वीडियो कांफ्रेन्सिंग का उपयोग जमानत आवेदनों पर तर्क, अति आवश्यक प्रकरणों में गवाही (दोनों पक्षकारों की सहमति से) आदि के लिए कर सकते हैं । इस स्थान के अतिरिक्त सर्वर रूम में तथा सिस्टम आफिसर के लेपटॉप पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग की कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधा स्थापित की जा चुकी है, जिनके उपयोग से विभिन्न न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेन्सिंग की जा सकती है ।

02– शासकीय वीडियो एप (Vidyo App) का उपयोग वी.सी. यूनिट के माध्यम से किया जा रहा है । इस एप के उपयोग के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं । इस एप को आवश्यकता अनुसार विस्तृत रूप से उपयोग में लाने के लिए जिले के समस्त अभिभाषक संघ को व्हाट्सएप पर उक्त एप का यूजर मेन्युअल/युजर वीडियो प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है । इस एप के माध्यम से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संबंधित पक्षकर एवं अधिवक्ता को उसके मोबाइल पर यू.आर.एल भेज कर कान्फ्रेंस में प्रकरण की सुनवाई हेतु कनेक्ट कर सकते हैं । इस हेतु समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण अपनेमोबाइल पर गूगल प्लेट स्टोर से उक्त एप को डाउनलोड करें ताकि इसका विस्तृत रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस एप के माध्यम से न्यायालय व पक्षकारों के मध्य वीडियो कांफ्रेन्सिंग स्थापित कर प्रकरण में कार्यवाही के दौरान व्यक्तियों के मध्य समुचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी । पक्षकारों एव अधिवक्तागण को उपरोक्त के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर उन्हें न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री डी.आर. हिरसकर, मोबाइल नंबर. 8989027100 तथा सिस्टम आफिसर श्री ओमप्रकाश पटेल, मोबाइल नंबर .9893569028 से सम्पर्क करने हेतु कहा गया है, साथ ही उत्पन्न होने वाली गठिनाईयों को इस स्थापना के ई–मेल आई.डी. dcourtbarwani@gmail.com पर मेल भेजकर अवगत कराने हेतु भी कहा गया है ।

03— सेंधवा में भी सर्वर रूम स्थापित होने से वहां पर कार्यरत आई.टी. असिस्टेंट को उपरोक्तानुसार रिमोट एक्सेस पाइंट वीडियो कांफ्रेन्सिंग बाबद तैयार करने निर्देश दिये गये हैं ।

04— वीडियो एप या रिमोट एक्सेस पाईन्ट से सुनवाई के दौरान कभी—कभी श्रवण बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए वर्तमान में फण्ड के अभाव मे समस्त न्यायाधीशगण से यह आग्रह किया है कि वे स्वयं के ईयर—फोन का उपयोग करें, ताकि सुनवाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

05— जिन अति आवश्यक प्रकरणो में न्यायालयों के अंदर गवाही अभिलिखित की जानी है, उन प्रकरणों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश, न्यायालय के कर्मचारियों, पक्षकारों एवं अधिवक्तागण के मध्य सामाजिक दुरस्ता सुनिश्चित करने हेतु दोनों पक्षकारों के अधिवक्तागण, साक्षी को एवं न्यायाधीश को माइक उपलब्ध कराया जावें ताकि उन सभी व्यक्तियों के मध्य कम से कम 03 फीट की दूरी स्थापित की जा सके । वर्तमान में बड़वानी न्यायालय में मात्र 4—5 न्यायालयों में ही पक्षकार, न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं के मध्य पर्याप्त दूरी स्थापित की जा सकती है । पक्षकारो, अधिवक्ताओं के मध्य पर्याप्त दूरी स्थापित करने हेतु निर्धारित दूरी पर पाईंट बनाये जाने हेतु समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को निर्देशित किया गया हैं ।

06— जिन पक्षकारों के पास वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालय के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए पैरालीगल वालेण्टियर को एमीकस क्यूरी के रूप में संबंधित न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जावेगा । इस हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से चार पैरालीगल वालेण्टियर की सूची उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है । यह पैरालीगल वालेण्टियर ऐसे पक्षकार एवं न्यायालय के मध्य वीडियो काफ्रेन्सिंग स्थापित करायेगे, ताकि प्रकरण में सुचारू रूपसे कार्यवाही निष्पादित की जा सके ।

07— समस्त न्यायाधीगण को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CIVIL) No 05/2020 में पारित आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें ।

08— अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बड़वानी से उपरोक्त बिन्दु पर भी विचार विमर्श किया गया है कि पुलिस द्वारा अति—आवश्यक दाण्डिक मामलों के सबंध में प्रस्तुत की जाने वाली केस डायरी की सॉफ्ट कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वह सर्व—संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृष्ठांक कमांक ..../S.W./एक—22—01/14-20 बड़वानी, दिनांक .... / 04 / 2020

प्रतिलिपि,

01— विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बडवानी ।
02— प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी/सेंधवा ।
03— प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडवानी ।
04— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 एवं न्या.मजि.प्रथम श्रेणी अंजड़/सेधवा ।
05— अति.व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 एवं न्या.मजि.प्रथम श्रेणी खेतिया ।
06— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बडवानी ।
07— समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर अनुभाग बड़वानी/सेंधवा/अंजड़ ।
08— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया ।
09— कलेक्टर, जिला बडवानी ।
10— पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी ।

11– जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बड़वानी / उपजेल सेंधवा ।

12– जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी ।

14– सिस्टम आफिसर, सर्वर रूम, जिला न्यायालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबद प्रेषित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)